न्यायालय न्यायनिर्णन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी   श्री जगदीश प्रसाद गौड़

मुकदमा नम्बर : 06/2023   आर.ए.एस

श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जिला झुन्झुनू।

बनाम

श्री विनोद कुमार पुत्र श्री कुरड़ाराम शर्मा, मै0 श्री जोधपुर स्वीट होम, नवल होटल के पास, नवलगढ, झुन्झुनू।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एफ.एस.एस.ए एक्ट 2006 व सपठित धारा नियम 2011

–निर्णय–   दिनांक : 31.01.2023

पत्रावली पेश हुई। आवेदक उपस्थित। अनावेदकगण स्वयं उपस्थित। मैने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जबाब व बहस पर ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया।

अनावेदक/अभियुक्त का कथन है कि उसकी श्री जोधपुर स्वीट होम के नाम से नवल होटल के पास, नवलगढ, झुन्झुनू में मिठाई की दुकान है। जहां वह मिठाई बनाकर बेचान करता है। उसकी दुकान से पेड़ा (मावा मिठाई) का सैम्पल लिया गया था जो सब स्टैण्डर्ड (Sub-standard) पाया गया है। अनावेदक का कथन है कि जो सैम्पल उसकी दुकान से भरा गया था वह सही था लेकिन कारणवश उसकी रिपोर्ट सही नही आई है। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से अपना जुर्म स्वीकार करता है।

हस्तगत प्रकरण प्रकरण में खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./3375/एक्ट/2022/3418 दिनांक 23.11.2022 के अनुसार खाद्य पदार्थ पेड़ा (मावा मिठाई) सबस्टैण्डर्ड (Sub standard) पाया गया है। इसके अलावा सैम्पल में Foreign fat भी पाया गया है। तथा अनावेदक ने लिखित में अपना जुर्म स्वीकार किया है। जो एफ.एस.एस.एस.ए की धारा 26 की उपधारा (2) (II) के उल्लंघन में आता है। चूँकि अनावेदक स्वयं फर्म का मालिक है तथा स्वयं मिठाई तैयार करवा कर बेचान करता है। अतः प्रकरण में खाद्य पदार्थ पेड़ा (मावा मिठाई) के सबस्टैण्डर्ड (Sub-Standard) तथा सैम्पल में Foreign fat पाये जाने की स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अनावेदक श्री विनोद कुमार पुत्र कुरड़ाराम शर्मा, मै0 श्री जोधपुर स्वीट होम, नवल होटल के पास, नवलगढ, झुन्झुनू को धारा 26 की उपधारा (2) (II) को दोषी मानकर प्रकरण में अनावेदक को 15,000/– पन्द्रह हजार रूपये अर्थदण्ड/ जुर्माने से दण्डित किया जाता है। उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट मद में 15 दिवस में जरिये चालान बैंक में जमा कराकर चालन की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की एक प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू को भिजवाये। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
झुंझुनू

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

निर्णय आज दिनांक 31.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
झुंझुनू

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.03.10 17:00:30 IST
Reason: SelfAttested